नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/2014 से 03/2016

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिकः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती अलका वर्मा	1.4.14 से 31.1.16
2	श्री महेश गौतम	1.2.16 से 31.3.16

कार्यकारी अधिकारीः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुधीर शर्मा	1.4.14 से 11.9.14
2	श्री पुरूषोत्तम चौधरी	12.9.14 से 28.2.15
3	श्री डी0आर0 भाटिया	7.4.15 से 22.7.15
4	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	19.8.15 से 30.3.16
5	श्री सुधीर शर्मा	31.3.16 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित हैः–

क्रमांक संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि ₹लाखों में
1	निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से काटे गये टी0डी0एस0 राशि की वसूली बारे	6	16.62
2	दुकानों के किराये की वसूली लम्बित	12	42.00
3	आई0 डी0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत दुकानों के किराये की वसूली लम्बित	14	15.84
4	दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर सेवा कर का भुगतान न करने बारे	16	15.80
5	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली लम्बित	19	3.17
6	अंशदायी पैन्शन योजना नियोक्ता हिस्सा पैन्शन व उपदान निधि में जमा करने बारे	21	24.34
7	संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय बारे	22	19.29
8	कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से पैन्शन का अनाधिकृत भुगतान	24	9.25
9	परिषद निधि से अनाधिकृत भुगतान	25	6.22
10	पैन्शन अंशदान का जमा न करवाया जाना	26	1.37
11	विभगीय तौर पर सीमेन्ट जारी न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि बारे	32	8.49
12	डिपाजिट कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे	35	660.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण सर्व श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व पुनीत शर्मा (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 27.10.2016 से 5.12.2016 तक तक नगर परिषद स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 12/2014 व 3/2016 एवं व्यय

के लिए 12/2014 एवं 10/2015 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद कार्यालय नालागढ़ द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क **₹**54600 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 128, दिनांक 5.12.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्त राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शीघ्र निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेजी जानी सुनिश्चित किया जाये।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति का विवरण नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	विवरण	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	19434066.45	103258953.45
2	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1527045.00	11050104.00
3	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	91896317.00	22054400.00
4	वर्ष में अपने स्त्रोतों से आय	27270708.00	25210624.00
5	कुल आय (₹)	140128136.45	161574081.45
6	वर्ष के दौरान व्यय राशि	36869183.00	100988819.00
7	**अन्तिम शेष (₹)**	**103258953.45**	**60585262.45**

1	**दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष**	**₹60585262.45**
(क)	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 तक पैरा संख्या में वर्णित वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ बही में अन्तर/समाधान जिसका शुद्धिकरण/समायोजन रोकड़ बही में अभी तक नहीं किया गया है	(–) 329906.49
	दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	60255355.96
	दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही में सावधि जमा योजना/विभिन्न बैंकों/हस्तगत राशि का अन्तशेष	62222098.96
(ख)	**बैंक समाधान विवरणिकाः–**	
(1)	दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि (₹)	60255355.96
(2)	दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये	(+) 1975138.00
(3)	रोकड़ बही में दर्ज आय के चैक जो दिनांक 31.3.16 तक बैंक में भुनाये नहीं गये है	(–) 8395.00
(4)	दिनांक 31.3.16 को अन्तशेष राशि	62222098.96
(5)	दिनांक 31.3.16 को विभिन्न बैंकों में जमा राशि/सावधि जमा में निवेश राशि/हस्तगत राशि को अन्तशेष (₹)	62222098.96

(ग) दिनांक 31.3.2016 को परिषद के बैंक खातों में जमा राशि का विवरणः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	बैंक के अनुसार अन्तशेष
1	इलाहाबाद बैंक	17249	16096466.44
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	50865	1788142.60
3	पंजाब नैशनल बैंक	130647	302351.73
4	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	8288	5503784.00
5	यूको बैंक	06450	90130.74
6	जोगिन्द्रा केन्द्रिय सहकारी बैंक	11432	2000905.00
7	–यथोपरि–	515	82954.00
8	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ए0डी0बी0)	6629	4643540.00
9	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (आई0डी0एस0एम0टी0)	52235	3815446.09
10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (नाबार्ड)	–	5475.36
11	पंजाब नैशनल बैंक	83137	150399.00
12	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	49294	9343654.00
13	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	84453	116955.00
14	सावधि जमा योजना में दिनांक 31.3.16 को जमा राशि	–	18281895.00
	कुल राशि (₹)		**62222098.96**

(ध) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज आय के चैक जो बैंक से भुनाये नहीं गये, विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	चैक नं0	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	752054	10.10.2014	1802	–
2			2789	रोकड़ बही में चैक संख्या व दिनांक की प्रविष्टि दर्ज नहीं है।
3	394732	25.2.2016	3804	
		कुल योग	**8395**	

(ङ) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	12753	10.3.16	38545
2	12756	19.3.16	3341
3	12758	19.3.16	1471
4	12760	19.3.16	191903
5	12765	30.3.16	80000
6	12766	30.3.16	80000
7	12767	30.3.16	566280
8	12768	30.3.16	8000
9	12769	30.3.16	29430
10	12770	30.3.16	765216
11	12771	30.3.16	4200
12	24041	2.7.15	6000
13	90054	7.11.15	27000
14	11043	1.10.15	104414
15	09547	1.10.15	57960
16	11098	2.11.15	4800
17	982129	4.11.15	2578
18	12681	1.2.16	1600
19	12713	17.2.16	2400
		योग	**₹1975138**

5 सावधि निवेशः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 3/2016 तक सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा सं0	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	अवधि	ब्याज %	परिपक्वता की राशि	परिपक्वता की तिथि	प्राप्ति योग्य ब्याज
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	00726	423663	4.2.16	3 माह	7.25%	430794	13.5.16	7131
2	जोगिन्द्रा केन्द्रिय सहकारी बैंक	1620	1661273	28.3.16	1 वर्ष	7.50%	1789417	28.3.17	128144
3	पंजाब नैशनल बैंक	6222	307365	5.6.15	1 वर्ष	8.5%	334336	5.6.16	26970
4	पंजाब नैशनल बैंक	6213	133076	5.6.15	1 वर्ष	8.5%	144753	5.6.16	11677
5	पंजाब नैशनल बैंक	140	1006287	28.6.15	त्रिमासिक ब्याज बैंक द्वारा खाते में जमा किया जा रहा है				
6	पंजाब नैशनल बैंक	104	594339	28.6.15	–यथोपरि–				
7	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	570016	2700000	13.4.15	1 वर्ष	8.75%	2944116	13.4.16	244116
8	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	568097	9689828	16.6.15	1 वर्ष	8.52%	10542155	16.6.16	852327
9	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	78594	1766064	29.8.15	1 वर्ष	8.37%	1918481	28.8.16	152417
		योग	**₹18281895**						

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

6 निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 की ₹16.62 लाख की वसूली न करने बारेः–

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा निवेशों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख **परिशिष्ट "घ"** के अवलोकन में पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में राशियाँ निवेशित की गई थी तथा राशियों की परिपक्वता की तिथि पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर आयकर की कटौती (टी0डी0एस0) की गई परन्तु बैंक द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 तक अपने स्तर पर काटे गये टी0डी0एस0 की राशि ₹1662155 को परिषद द्वारा वापिस प्राप्त नहीं किया गया है क्योंकि नियमानुसार परिषद की आय, आयकर से मुक्त है। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि परिषद द्वारा सम्बन्धित बैंकों से सम्पर्क करते हुये स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 राशि की वापिसी हेतु समुचित कदम उठाये।

7 अनुदानः—

(1) नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक परिषद को विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	विवरण	2014—15	2015—16
1	प्रारम्भिक शेष	3383500	74783405
2	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	91896317	22054400
3	कुल राशि	95279817	96837805
4	वर्ष के दौरान व्यय राशि	20496412	76035018
5	अन्तशेष	74783405	20802787

(2) दिनांक 31.3.2016 को सरकारी अनुदान की अनुपयुक्त ₹208.02 लाख शेषः—

नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.16 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय व 31.3.16 को पाये गये अन्तशेष तथा पूर्व में अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "च"** पर विस्तार से दिया गया है। वर्ष 2013—14 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष राशि ₹3383500 में वर्ष 2014—15 के दौरान ही 3383500 की राशि व्यय कर दी गई थी।

वर्ष 2014—15 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹91896317 की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से ₹17112912 वर्ष 2014—15 के दौरान व ₹66100000 वर्ष 2015—16 के दौरान व्यय की गई तथा ₹8683405 की राशि 31.3.16 को अनुपयुक्त थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015—16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रूप में ₹22054400 की राशि प्राप्त हुई जिसमें से वर्ष 2015—16 के दौरान ₹9935018 राशि व्यय की गई तथा ₹12119382 दिनांक 31.3.16 को अनुपयुक्त थी।

उपरोक्त विवरणानुसार 31.3.2016 को ₹20802787 (₹8683405+₹12119382) की राशि अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों को सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयुक्त राशि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/स्वीकृति से अविलम्ब नियमानुसार समयबद्ध व्यय किए जाने बारे ठोस पग उठाये जाएं अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग/सरकार को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

(3) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण न करने बारेः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण का ब्यौरा नहीं रखा गया था जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 भविष्य निधिः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक भविष्य निधि लेखें की वित्तीय स्थिति नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "छ"** के अनुसार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**विवरण**	**2014–15**	**2015–16**
1	प्रारम्भिक शेष	5191882.80	7118531.80
2	अभिदान से प्राप्त राशि	2083639.00	1643443.00
3	ब्याज से प्राप्त राशि	674629.00	590316.00
4	कुल राशि	7950150.80	9352290.80
5	भुगतान राशि	831619.00	2534215.00
6	अन्तशेष	7118531.80	6818075.80
	दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष		₹6818075.80
	दिनांक 31.3.16 को बैंक खताा संख्या 101334001005612 में जमा राशि		(₹)6818075.80

9 पैन्शन एवं उपदान निधिः–

नगर परिषद नालागढ़ के पैन्शन एवं उपदान निधि लेखें की वित्तीय स्थिति नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**विवरण**	**2014–15**	**2015–16**
1	प्रारम्भिक शेष	4140058	3070727
2	अंशदान से प्राप्त राशि	4659606	2050888
3	ब्याज से प्राप्त राशि	384694	273916
4	कुल राशि	9184358	5395531
5	वर्ष के दौरान व्यय	6113631	2910631
6	अन्तशेष	3070727	2484900

दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	₹2484900
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाता संख्या 101334001009914 में जमा राशि	₹2484900

10 प्राप्त आय की ₹0.09 लाख को गलत योग गणना के कारण रोकड़ बही में कम गणना/बैंक खातों में कम जमा करवाने बारेः—

नगर परिषद नालागढ़ के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹8727 राशि को रोकड़ बही में अंकगणितीय गणना की अशुद्धि के परिणामस्वरूप कम दर्शाये जाने के कारण बैंक खातों में भी कम राशि जमा की गई थी। अतः कुल ₹8727/— की वसूली उचित माध्यम से करने के पश्चात रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में दर्ज राशियों के योग की सही गणना करके प्रविष्टि का इन्द्राज करना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति से परहेज हो सके।

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ बही पेज सं0	विवरण	रसीद सं0	रोकड़ बही में दर्शाई गई राशि	वास्तव में कुल राशि	अन्तर राशि
1	16.4.14	110	दुकानों का किराया खाद जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क विविध	72—82/1 81/396 76—77/424 78/424	42458	42478	20
2	21.12.14	170	दुकानों का किराया आई0डी0एस0एम0डी0 आर0टी0आई0 गृहकर, विविध जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क	65—70/29 51/409 87/28 88/28 81—86/28	15174	15270	96
3	29.1.15	179	स्लाटर हाऊस शुल्क जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र विविध	355/8 25—33/33 27/33	770	780	10
4	7.3.15	189	तहबाजारी शुलक आई0डी0एस0एम0टी0 दुकानों का किराया स्लाटर हाऊस शुल्क खाद बिक्री	80—83/6 74—75/409 29—38/38 27/9 87/32	14514	14604	90
5	13.3.15	190	तहबाजारी दुकानों का किराया विवाह पंजीकरण शुल्क विविध	93/6 26—32/39 17/37 16/37	66178	66218	40

6	21.4.15	196	दुकानों के किराये से प्राप्त जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क	51–53 / 43 42 / 42	2082	2102	20
7	12.6.15	7	तहबाजारी दुकानों का किराया खाद बिक्री जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र	168 / 7 47 / 4 121–122 / 51 46 / 40 19–22 / 50	17820	17823	3
8	28.9.15	32	दुकानों का किराया खाद बिक्री स्लाटर हाउस शुल्क विविध	25–26 / 61 75 / 46 397–99 / 9 14 / 62	134728	134833	105
9	1.10.15	35	तहबाजारी शुल्क दुकानों का किराया खाद बिक्री जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र	86–87 / 8 29–61 / 33 87 / 40 33–40 / 62	17453	17516	63
10	3.10.15	36	तहबाजारी शुल्क दुकानों का किराया खाद बिक्री जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र विविध	88–90 / 8 34–51 / 61 88 / 40 41–49 / 62 50–51 / 62	1242949	1243247	298
11	19.10.15	39	दुकानों का किराया खाद बिक्री जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रविविध	11–12 / 65 – 20–2831–35 / 64 30 / 64	11589	11609	20
12	19.11.15	47	दुकानों का किराया जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र विविध	86–93 / 67 63 / 68 65–69 / 66	20231	28167	7936
13	1.1.16	59	दुकानों का किराये से आय स्लाटर हाउस शुल्क विविध	8–9 / 73 142–144 / 10 77 / 42	256847	256867	20
14	19.3.16	77	खाद बिक्री से आय स्लाटर हाऊस शुल्क निविदा फार्म बिक्री से आय	70–74 / 71 271–73 / 110 32–36 / 80	145180	145186	6
							₹8727

11 आय की प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को रोकड़ में कम दर्ज करने के कारण बैंक में कम जमा करने बारेः—

नगर परिषद नालागढ़ के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक आय की विभिन्न रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार परिषद द्वारा रसीदों से प्राप्त राशि की गलत योग गणना के कारण पैरा 11 (I से III) के अनुसार कुल ₹3880 का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया और न ही राशि को परिषद कोष में जमा करवाया गया। अतः ₹3880 राशि की वसूली उचित माध्यम से करने के पश्चात रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य हेतु परामर्श है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता की पुर्नवृति न हो।

(I) तहबाजारी शुल्कः—

क्र0सं0	दिनांक	रसीद विवरण	रोकड़ बही में दर्ज राशि	आय की वास्तविक प्राप्त राशि	अन्तर राशि
1	30.4.14	73/3	561	571	10
2	8.5.14	91/3	—	128	128
3	12.6.14	113—115/4	695	1195	500
4	14.8.14	180/4	306	310	4
5	9.12.14	195/5	—	501	501
6	12.6.15	18/8	—	519	519
7	23.7.15	22/8	—	50	50
8	11.8.15	46—48/8	1072	1080	8
9	4.3.16	96—98/9	887	1361	474
				योग	**₹2194**

(II) स्लाटर हाऊस शुल्कः—

क्र0सं0	दिनांक	रसीद विवरण	रोकड़ बही में दर्ज राशि	आय की वास्तविक प्राप्त राशि	अन्तर राशि
1	20.5.14	286—289/7	—	40	40
2	23.5.14	294—313/7	240	260	20
3	18.6.14	342—344/7	—	30	30
4	22.6.14	352—354/7	—	30	30
5	16.8.14	53—58/8	70	80	10
6	10.9.14	97—8	—	10	10
7	26.9.14	100—123/8	240	280	40
8	9.10.14	128—145/8	230	280	50
9	10.10.14	146—51/8	70	80	10
10	27.11.14	233—41/8	70	120	50
11	27.12.14	286—87/8	—	30	30

12	6.2.15	371/8	–	10	10
13	18.3.15	44–45/9	20	30	10
14	22.3.15	52/9	–	20	20
15	31.3.15	66–68/9	30	50	20
16	29.4.15	123–26/9	50	60	10
17	8.6.15	204–05/9	–	40	40
18	14.6.15	236–9	–	10	10
19	14.8.15	327–336/9	100	110	10
20	4.9.15	9/359	–	20	20
21	12.9.15	374/9	10	20	10
22	16.9.15	379/9	–	10	10
23	17.9.15	381/9	–	10	10
24	23.10.15	31–37/10	80	90	10
25	28.10.15	41/10	–	10	10
26	12.11.15	64–65/10	–	30	30
27	18.12.15	1169–118/10	–	40	40
28	24.12.15	128–129/10	20	30	10
29	11.1.16	161/10	–	10	10
30	16.1.16	176–177/10	20	30	10
31	6.2.16	187–204/10	220	240	20
32	11.2.16	212/10	–	10	10
33	5.3.16	249–250/10	–	30	30
34	11.3.16	258–261/10	40	60	20
35	27.3.16	282/10	–	20	20
				योग	**720**

(III) (विविध) दुकानों के किरायें, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क से सम्बन्धित

क्र0सं0	**दिनांक**	**रसीद विवरण**	**रोकड़ बही में दर्ज राशि**	**आय की वास्तविक प्राप्त राशि**	**अन्तर राशि**
1	16.2.16	57–63/77	5026	5942	916
2	5.3.16	93/78	–	10	10
3	3.3.16	90–92/78	30	40	10
4	31.3.16	80/81	–	30	30
				कुल योग	**₹966**

12 दुकानों के किराये की बकाया ₹42.00 लाख की वसूली शेषः–

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "झ"** के विवरणानुसार 31.3.2016 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये की बकाया ₹4195598 की वसूली की जानी लम्बित थी। मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा निश्चित समय अवधि के भीतर लम्बित राशि की

वसूली करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को तदानुसार अवगत करवाया जाए। यहां पर लिखना उचित होगा कि उपरोक्त राशि में ₹2044792 निम्न विवरणानुसार तो केवल अंकेक्षण अवधि से ही सम्बन्धित है।

क्र0सं0	प्लाट/दुकान संख्या पी–प्लाट एस–दुकान	नाम दुकानदार	मासिक किराया	दिनांक 31.3.16 को वसूली योग्य शेष
1	पी–41	श्री नरेन्द्र सिंह	2104	50496
2	पी–58	श्री जीत सिंह	571	63434
3	एस–46	श्री सुरेन्द्र पाल	842	56740
4	एस–55	श्री हरविन्द्र सिंह	1173	81295
5	एस–85	श्री लाल चन्द	1405	80316
6	एस–86	श्री बाबू राम	949	64230
7	एस–87	श्री इन्द्रजीत सिंह	1772	137581
8	एस–161	श्री मोहित जैन	31000	520000
9	एस–190	नेहा कुमारी	–	291645
10	एस–214	श्री संजीव कुमार	1968	76562
11	एस–226	श्री प्रिया व्रत	1679	92134
12	एस–227	श्री जगदीश चन्द	1820	118292
13	एस–19 (आई0डी0एस0एम0टी0)	श्री पुरूषोत्तम लाल	3465	74240
14	एस–21	श्री वीर प्रकाश	3623	79751
15	एस–22	श्री प्रकाश चन्द	3780	90080
16	एस–47	श्री हरिमंद्र जैन	3623	75268
17	एस–58	श्री सुरेश जैन	3823	92728
			कुल योग	**₹2044792**

13 दिनांक 31.3.2016 तक प्लाटों के देय किराये की ₹3.24 लाख वसूली हेतु लम्बितः–

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा जारी विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक प्लाटों के किराये ₹324364 की राशि वसूली हेतु लम्बित थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ञ"** में दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाये जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 आई0डी0एस0एम0टी0 (IDSMT) योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के किराये की बकाया ₹15.84 लाख की वसूली शेषः–

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "ट"** अनुसार आई0डी0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के किराये की बकाया ₹1584894 की वसूली दिनांक 31.3.2016 तक लम्बित थी। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा शहरी विकास विभाग से आई0डी0एस0एम0टी0 (IDSMT) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से 64 दुकानों का निर्माण कर किराये पर दिया गया था इसमें दुकान दारों से अग्रिम राशि किराये के रूप में ली गई थी लेकिन नगर परिषद दुकानों के किराये की लम्बित राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाये जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 दुकानों/प्लाटों के किरायेदारों से ₹0.29 लाख के देय विलम्ब शुल्क की कम वसूली करनाः–

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार यदि किरायेदार माह की 10 तारीख तक उस माह का किराया जमा नहीं करता है तो ₹5 व ₹1 प्रतिदिन की दर से क्रमशः दुकानों व प्लाटों का विलम्ब शुल्क वसूला जायेगा। किन्तु परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ठ"** में दिये विवरणानुसार विलम्ब शुल्क या तो देय राशि से कम वसूल किया गया था या वसूल ही नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से विलम्ब शुल्क करने के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान समरूप चूककर्ता किरायेदारों के प्रकरणों को परिषद स्त्तर पर चिन्हित करने के साथ–साथ उनसे देय विलम्ब शुल्क की राशि की गणना करके वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर ₹15.80 लाख सेवाकर का भुगतान न करने बारेः–

केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग के सेवाकर अधिनियम के अनुसार किराये से प्राप्त आय पर सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, लेकिन नगर परिषद नालागढ़

द्वारा वर्ष 2014—15 व 2015—16 के दौरान किराये से प्राप्त आय पर निम्नविवरणानुसार देय सेवाकर ₹1579503 का केन्द्रिय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था।

माह／वर्ष	किराये से प्राप्त राशि	सेवाकर दर %	सेवाकर की भुगतान योग्य राशि
2014—2015	5530133	12.36%	683524
4／2015	433624	12.36%	53596
5／2015	483647	12..36%	59779
6／2015	369916	14%	51788
7／2015	352949	14%	49413
8／2015	341592	14%	47823
9／2015	417176	14%	58405
10／2015	1182982	14%	165617
11／2015	444931	14.5%	64515
12／2015	579815	14.5%	84073
1／2016	349718	14.5%	50709
2／2016	369298	14.5%	53548
3／2016	1080780	14.5%	156713
		योग	**₹1579503**

सेवा कर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सेवाकर की उपरोक्त भुगतान योग्य राशि को केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सेवाकर की देय राशि का सम्बन्धित विभाग को समय पर भुगतान न करने पर सरकारी प्राप्तियों का दुरूपयोग किया गया लगता है। सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा न करने के कारण यदि केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कोई दण्ड (Paenality) लगाई जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होगे।

17 परिषद द्वारा गृहकर की वसूली न करने बारेः—

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानानुसार व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषदों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके दायरे में पड़ने वाले／सीमा क्षेत्र स्थित भवनों से गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण को नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ङ व त"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद द्वारा पारित नवीनतम प्रस्ताव संख्या 396 दिनांक 14.11.14 के दृष्टिगत नियमित रूप से गृहकर वसूली की अपेक्षा अनापति प्रमाण पत्र जारी करते समय एक बार ही गृहकर वसूल किया जा रहा है। परिणामतः नियमित गृहकर की वसूली हेतु देय राशि व उससे सम्बन्धित माँग व

संग्रहण रजिस्टर का रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा है। जिसके अभाव में दिनांक 31.3. 2016 को वसूली हेतु देय राशि का अंकेक्षण नहीं किया जा सका। नियमों के अनुसार गृहकर की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है तथा इसकी वसूली न करने के कारण परिषद को लगातार हानि हो रही है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करने के अतिरिक्त गृहकर की देय राशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 होटलों व गैस्ट हाऊसों/मालिकों से गृहकर की वसूली न करने बारेः–

परिषद के अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "ढ"** विवरणानुसार परिषद द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में स्थित होटलों व गैस्ट हाऊसों के मालिकों से गृहकर की वसूली नहीं की गई जबकि परिषद द्वारा पारित प्रताव संख्या 396 दिनांक 14.11.2014 के दृष्टिगत परिषद सीमा क्षेत्र में स्थित निजि व व्यवसायिक संस्थाओं से गृहकर वसूली प्रस्ताव पास हुआ था परन्तु परिषद द्वारा गृहकर की वसूली नहीं की गई जबकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानानुसार व निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) 1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा करों शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये थे परन्तु परिषद द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में स्थित होटलों व गैस्ट हाऊस मालिकों से 12.5**%** दर से गृहकर की वसूली नहीं की गई इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा गृहकर की वसूली हेतु विशेष प्रयास करके ताकि परिषद की आय में वृद्धि हो। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये।

19 माबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹3.17 लाख की वसूली न करनाः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के उपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV (IT) 2005 (MISC) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "ण"** अनुसार ₹317000 दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वसूली हेतु लम्बित थी। अतः मोबाईल कम्पनियों से मोबाईल टावरों की स्थापना एवं

नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि को शीघ्र वसूल करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 विविध करों की वसूली न करना

(1) विद्युत उपयोग कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 एवं हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद के सीमा क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन नगर परिषद नालागढ़ द्वारा **परिशिष्ट "त"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वित्त वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लिए बिजली बोर्ड से बिजली उपकर की देय राशि 31.3.2016 तक प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आकंडे एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) शराब उपकर की प्राप्ति न करनाः–

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा **परिशिष्ट "त"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद को वित्तीय वर्ष 2015–2016 का शराब उपकर हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग से दिनांक 31.3.2016 तक प्राप्त नहीं हुआ था जिसकी प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करनाः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर व कुछ अवधि का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा माँग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख को संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में वांछित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 ₹24.34 लाख अंशदायी पैन्शन योजना नियोक्ता अंशदान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा करनाः–

अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों का नियोक्ता द्वारा किया जाने वाला अंशदान अनियमित रूप से पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा किया जा रहा था। अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों का नियोक्ता अंशदान अलग से कर्मचारी वार लेखा रखकर अलग खाते में जमा किया जाना वांछित है जिसका भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर किया जाना अपेक्षित है। अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत कार्यरत्त कर्मचारियों का **परिशिष्ट "थ"** अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹2433685 नियोक्ता अंशदान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा किया गया है। अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का नियोक्ता अंशदान अनियमित रूप से पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से अंशदायी पैन्शन योजना नियोक्त अंशदान की ₹2433685 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से आहरित करके अलग से जमा किया जाए ताकि अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृति पर भुगतान करने में कोई असुविधा न हो।

22 संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹19.29 लाख का अधिक व्ययः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 (1) तथा निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच (ए) 1–87/9237–84 दिनांक 20.6.2001 में निहित निर्देशों के अनुरूप नगर परिषदों में संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु सीमित किया गया था। परन्तु नगर परिषद नालागढ़ द्वारा उपरोक्त व्यय को निर्धारित सीमा से निम्न विवरणानुसार ₹1928617 का अधिक व्यय किया गया है।

वर्ष	कुल व्यय	अपेक्षित 1/3rd स्थापना व्यय	वास्तविक स्थापना व्यय	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि
2014–15	36869183	12289728	13133188	843460
2015–16	34988819 (100988819–66000000 Deposit works)	11662940	12748097	1085157
	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि			**1928617**

अतः अधिक व्यय की राशि का सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

23 संस्थापनाः–

स्थापना पर किये गये व्यय एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करने पर ₹0.90 लाख के अधिक भुगतान के मामले एवं अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) ₹0.44 लाख मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतानः–

नगर परिषद के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के रूप में देय राशि से अधिक दर से भुगतान करने के कारण **परिशिष्ट "द"** के अनुसार ₹43800 का अधिक भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 109, दिनांक 5.11.2016 द्वारा मामला कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाने उपरान्त कार्यकारी अधिकारी द्वारा ₹42650 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 11/2016 के वेतन से एवं रसीदों के माध्यम से कर ली गई है। शेष ₹1150 की वसूली श्रीमती सीता देवी सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत) से करने को लम्बित है जिसकी वसूली करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(2) ₹0.46 लाख श्री प्रशोत्तम सिंह कार्यकारी अधिकारी को वेतन व भत्तों का अधिक भुगतानः–

मुख्य सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 4D&B(7)-2/2009 दिनांक 19.12.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमानों में कार्यकारी अधिकारी के पद का ₹4800 ग्रेड पे दिनांक 1.12.2014 से प्रदान किया गया है। इसके विपरीत श्री प्रशोतम सिंह, कार्यकारी अधिकारी का पद/प्रर्वग वार संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करके उन्हें 1.10.2012 से ₹5400 ग्रेड पे का भुगतान किया गया था। यद्यपि प्रशोतम सिंह कार्यकारी अधिकारी का उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या MC/NLG/Estb/2015-559 दिनांक 25.8.2015 द्वारा वेतन निर्धारित करके उन्हें ₹4800 ग्रेड पे स्वीकृति की गई थी। परिणामस्वरूप वेतन निर्धारण के पश्चात उन्हें निम्नविवरणानुसार ₹45526 अधिक भुगतान की गई जिसकी वसूली नहीं की गई। अतः अब वसूली प्रभावी करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	भुगतान राशि			देय राशि			अन्तरXमाह	अधिक भुगतान
	बैंड पे+ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	जोड	बैंड पे+ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	जोड		
1.10.12 से 31.12.12	19290+5400	17777	42467	19290+4600	1720	41091	1376X3	4128
1.1.13 से	20030+5400	20344	45774	20010+4600	19688	44298	1476X6	8856

30.6.13								
1.7.13 से 31.12.13	20030+5400	22887	48317	20010+4600	22149	46759	1558X6	9348
1.1.14 से 30.6.14	20800+5400	26200	52400	20750+4600	25350	50700	1700X6	10200
1.7.14 से 30.11.14	20800+5400	28034	54234	20750+4600	27125	52475	1759X6	8795
1.12.14 से 31.12.14	20800+5400	28034	54234	20750+4800	27339	52889	1345X1	1345
1.1.15 से 28.2.15	21590+5400	30499	57489	21520+4800	29742	56062	1427X2	2854
							जोड़	**45526**

(3) ₹540 का अधिक भुगतानः—

वाउचर संख्या 18, माह 10/2015, ₹57960 द्वारा नगर परिषद के सेवा निवृत कर्मचारियों को 107 प्रतिशत महंगाई भत्ते के स्थान पर दिनांक 1.1.2015 से स्वीकृति 113 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अवधि 1.1.2015 से 31.8.2015 तक देय बकाया राशि का भुगतान किया गया था। उपरोक्त राशि में श्री प्रशोत्तम सिंह सेवानिवृत कार्यकारी अधिकारी को 1.1.2015 से 28.2.2015 तक देय महंगाई भत्ते की कार्य राशि भी सम्मिलित थी। श्री प्रशोत्तम सिंह का माह 1/2015 व 2/2015 में वेतन रजिस्टर के अनुसार प्राप्त मूल वेतन ₹26990 –(21590+5400) था जिस पर 6 प्रतिशत की दर से ₹1619 प्रतिमाह की दर से ₹3238 का भुगतान किया जाना था जबकि उपरोक्त वाउचर द्वारा उन्हें ₹1889 प्रतिमाह की दर से ₹3778 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त विवरणानुसार श्री प्रशोत्तम सिंह कार्यकारी अधिकारी को ₹540 (₹3778–₹3238) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(4) सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया है कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पद/पवर्गवार संशोधित वेतनमान दिनांक 1.10.2012 से प्रदान किए गए है। तत्पश्चात सम्बन्धित कर्मचारियों को 1.10.2012 से बकाया राशि का भुगतान भी जुलाई 2015 में कर दिया गया है। नियमानुसार इस सम्बन्ध में वेतन निर्धारण के कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किए जाने अपेक्षित थे। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया तथा न ही सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में वेतन निर्धारण की प्रविष्टियाँ दर्ज की गई। अतः इस चूक का आवश्यक स्पष्टीकरण करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमान प्रदान करने की तिथि	वेतन के साथ संशोधित वेतनमान के नगद भुगतान की तिथि
1	सर्व श्री दिनेश कुमार, लिपिक	1.10.2012	1.2.2014
2	अरूण कुमार, चौकीदार	1.10.2012	1.5.2014
3	संजीव कुमार, लिपिक	1.8.2014	1.5.2015
4	कुलदीप सिंह, चौकीदार	1.10.2012	1.5.2015
5	मदन लाल, ड्राईवर	1.10.2012	1.5.2015
6	फूल चन्द, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
7	राजेन्द्र कुमार, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
8	सतपाल सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
9	गिरधारी लाल, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
10	श्रीमती सन्तोष, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
11	महेन्द्र सिंह, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
12	राजेन्द्र कुमार II, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
13	हिन्द रवि, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
14	बेली राम, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
15	राजेन्द्र कुमार III, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
16	रेणु बाला, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
17	अमर जीत, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
18	मोहन लाल, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
19	राजेन्द्र कुमार IV, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
20	अच्छर सिंह, सफाई कर्मचारी	1.10.2012	1.5.2015
21	सुरेन्द्र, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
22	श्याम लाल, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
23	कृष्ण लाल, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
24	सालिग राम, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
25	बलवीर, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
26	हुक्म चन्द, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
27	सफी मोहम्मद, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
28	राम लाल, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
29	कर्म जीत, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015
30	पवन कुमार, बेलदार	1.10.2012	1.5.2015

(5) श्री फूल चन्द, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री फूलचन्द को दिनांक 1.1.84, 1.1.92, 1.1.2002, 1.1.2005, 1.1.2010, 1.1.2011 व 1.1.2014 को देय वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की गई है। सेवा पुस्तिका में वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान न करने बारे किसी कार्यालय आदेश का कोई उल्लेख भी नहीं था। अवधि 1.1.1980 से 31.12.1986 तक सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश जमा की

प्रविष्टियाँ की गई है लेकिन अर्जित अवकाश व्यतीत करने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टियाँ नहीं की गई है। अवधि 31.12.92 के पश्चात से सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश के जमा व व्यतीत करने के सम्बन्ध में एवं अन्य वांछित प्रविष्टियाँ न करने बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त श्री फूल चन्द की सेवा पुस्तिका को पूर्ण करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(6) श्री दिनेश कुमार लिपिक को वर्ष 2014 में दिनांक 9.3.2005 को 16 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने व दिनांक 9.3.2013 को 24 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर उन्हें सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था। लेकिन अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने एवं वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कोई भी सक्षम अधिकारी के आदेश अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक 1.3.2015 से श्री दिनेश कुमार लिपिक को पदोन्नत करके वरिष्ठ सहायक बनाया गया था। लेकिन पदोन्नति के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के आदेश एवं वेतन निर्धारण से सम्बन्धित आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये।

सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ प्रदान करना व वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वांछित आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(7) नगर परिषद द्वारा श्री दिनेश कुमार, लिपिक को मार्च 2015 से रिहायसी आवास आबंटित करने के परिणामस्वरूप उनको मिलने वाला मकान किराया भत्ते का भुगतान भी बन्द कर दिया गया है। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि श्री दिनेश कुमार से माह 3/2015 से लाईसैन्स फीस की वसूली नहीं की गई है। अतः श्री दिनेश कुमार लिपिक/वरिष्ठ सहायक से लाईसैन्स फीस की वसूली करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

24 ₹9.25 लाख कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से पैन्शन का अनियमित/अनाधिकृत भुगतानः–

(1) नीचे विवरण अनुसार नगर परिषद द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों की पैन्शन का भुगतान "पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि" से न करके "नगर परिषद निधि" से कर दिया गया है। तत्पश्चात इस राशि को "नगर परिषद भविष्य निधि" से आहरित करके "नगर परिषद निधि" में जमा कर दिया गया है। लेकिन आहरित राशि को नगर परिषद भविष्य निधि में वापिस जमा नहीं करवाया गया है। यह अनाधिकृत प्रक्रिया न केवल अनियमित है बल्कि आपत्तिजनक भी है।

ऐसा करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए आहरित राशि को उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके वापिस नगर परिषद भविष्य निधि में जमा करवाया जाए एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वाउचर संख्या	दिनांक	राशि	भुगतान का विवरण
1	18	1.6.2015	206222	पैन्शन माह 5/2015
2	19	1.7.2015	206222	पैन्शन माह 5/2015
3	18	20.8.2015	220000	पैन्शन माह 7/2015
4	18	1.9.2015	220000	पैन्शन माह 8/2015
		जोड़	**852444**	

(2) ₹0.73 लाख का भविष्य निधि खाते से अनाधिकृत व्ययः–

"नगर परिषद निधि" से श्रीमती सीता देवी को ₹72826 ग्रेच्युटी की भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से करके राशि नगर परिषद निधि में की जानी थी जबकि चैक संख्या 1023130 दिनांक 3.4.2014 द्वारा ₹72826 की राशि भविष्य निधि खाते से निकाल कर "नगर परिषद निधि" में जमा की गई थी। भविष्य निधि खाते से किया गया उपरोक्त व्यय भविष्य निधि खाते पर उचित प्रभार नहीं है। अतः अनाधिकृत रूप से किए गये व्यय ₹72826 की पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से प्रतिपूर्ति करके राशि नगर परिषद भविष्य निधि में जमा की जाए।

(ख) ₹1.65 लाख का पैन्शन एवं ग्रेच्युटी खाते से अनाधिकृत व्ययः–

निम्नविवरण अनुसार नगर परिषद निधि ₹165000 का भुगतान नगर परिषद के कर्मचारियों को भविष्य निधि अग्रिम के रूप में किया गया था। यह अग्रिम नगर परिषद निधि पर एक अवैध प्रभार है। अतः वांछित राशि की प्रतिपूर्ति नगर परिषद निधि से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	कर्मचारी का नाम/पद	अग्रिम भुगतान राशि
1	13.11.14	श्री सालिग, सफाई कर्मचारी	80000
2	13.11.14	श्री कृष्ण, सफाई कर्मचारी	45000
3	27.2.15	श्री रवि, सफाई कर्मचारी	40000
		जोड़	**165000**

25 ₹6.22 लाख नगर परिषद निधि से अनाधिकृत भुगतानः–

(1) निम्न विवरण अनुसार नगर परिषद सेवानिवृत कर्मचारियों को ₹366716 का भुगतान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से न करके "नगर परिषद निधि" से किया गया है। अतः इस अनियमित एवं अनाधिकृत प्रक्रिया का स्पष्टीकरण देते हुए इस राशि की प्रतिपूर्ति "नगर परिषद निधि" में की

जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान का विवरण	भुगतान राशि
16	2.4.14	श्री राम पाल क0 अभियन्ता की पैन्शन का भुगतान	12972
16	2.6.14	–यथोपरि–	12972
17	1.8.14	नगर परिषद के सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्शन का भुगतान	150422
17	1.8.14	श्री राम पाल क0 अभियन्ता की पैन्शन का भुगतान	12972
16	1.9.14	नगर परिषद सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्शन का भुगतान	177378
		योग	**366716**

(2) नगर परिषद निधि से कर्मचारियों को भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान किया जाता था तथा भुगतान की गई राशि की निकासी भविष्य निधि खाते से करके राशि नगर परिषद निधि में जमा की जाती थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹255000 का भुगतान नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों को भविष्य निधि अग्रिम के रूप में नगर परिषद निधि से किया गया था लेकिन इस राशि की भविष्य निधि खाते से निकासी करके वापिस नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था। अतः ₹255000 का नगर परिषद निधि से अनाधिकृत व्यय किया गया था जिसकी भविष्य निधि खाते से प्रतिपूर्ति करके राशि नगर परिषद निधि में जमा की जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	वा0सं0	दिनांक	अग्रिम भुगतान राशि
1	श्री सतपाल, सफाई कर्मचारी	21	10.10.14	50000
2	श्री राजेन्द्र, सफाई कर्मचारी	21	10.10.14	40000
3	श्री दिनेश कुमार, लिपिक	23	6.4.15	25000
4	श्री सतपाल, सफाई कर्मचारी	23	6.4.15	55000
5	श्री मोहन लाल, सफाई कर्मचारी	50	26.11.15	50000
6	श्री हिन्द रवि, सफाई कर्मचारी	44	17.2.16	35000
			जोड़	**255000**

26 ₹1.37 लाख पैन्शन अंशदान का जमा न करनाः–

"नगर परिषद निधि" से वाउचर संख्या 11 दिनांक 1.9.2014 द्वारा नगर परिषद कर्मचारियों के पैन्शन अंशदान माह 8/2014 का ₹137329 का भुगतान किया गया था। इस

राशि को चैक संख्या 1149146 दिनांक 1.9.2014 ₹137329 द्वारा "पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि " से निकासी करके वाापिस "नगर परिषद निधि" में जमा किया गया था। कर्मचारियों के माह 8/2014 के पैन्शन अंशदान की राशि को वापिस नगर परिषद निधि में जमा करने के कारण माह 8/2014 का पैनशन एवं ग्रेच्युटी अंशदान पैनशन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा नहीं हुआ है। अतः पैनशन एवं ग्रेच्युटी अंशदान की राशि को वापिस नगर परिषद निधि में जमा करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त माह 8/2014 के कर्मचारियों के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान का जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 ₹2580 का पैनशन एवं ग्रेच्युटी निधि से अधिक भुगतानः–

नगर परिषद निधि से वाउचर संख्या 17, दिनांक 2.3.2015 द्वारा ₹196268 का भुगतान सेवानिवृति कर्मचारियों की माह 2/2015 की पैनशन के रूप में किया गया था। इस भुगतान की प्रतिपूर्ति "पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि" से चैक संख्या 1023147 दिनांक 2.3.2015 ₹198848 द्वारा की गई थी। उपरोक्त चैक द्वारा ₹196268 के स्थान पर ₹198848 "पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि" से नगर परिषद निधि में जमा किए गये थे जिसके फलस्वरूप ₹2580 (₹198848–₹196268) पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से अधिक भुगतान किया गया था जिसकी "नगर परिषद निधि" से प्रतिपूर्ति करके राशि पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

28 श्रीमती देवकी सफाई कर्मचारी (सेवानिवृत) को पैन्शन कम्युटेशन एवं ग्रेच्युटी का ₹0.30 लाख कम भुगतान करनाः–

श्रीमती देवकी सेवानिवृत सफाई कर्मचारी को निम्न विवरणानुसार वाउचर संख्या 36 माह 12/2014 द्वारा ₹330761 का भुगतान किया गया था।

क्रमांक	भुगतान का विवरण	राशि
1	ग्रेच्युटी	188528
2	पैन्शन कम्युटेशन	223008
3	पैन्शन माह 12/2013	8505
4	पैन्शन माह 1/2014 से 10/2014 (9072X10)	90720
	जोड़	**510761**
	वाउचर संख्या 26 दिनांक 6.8.2014 द्वारा पैन्शन कम्युटेशन व ग्रेच्युटी के विरूद्ध पूर्व में भुगतान की गई राशि	180000
	कुल राशि	**330761**

उपरोक्त भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि पैन्शन कम्युटेशन व ग्रेच्युटी के विरूद्ध वास्तव में वाउचर संख्या 26 दिनांक 6.8.2014 द्वारा श्रीमती देवकी सफाई कर्मचारी को ₹150000 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त भुगतान की गणना करते समय पूर्व में वाउचर संख्या 26 दिनांक 6.8.14 द्वारा भुगतान की गई राशि ₹150 नं0 के स्थान पर ₹180000 दर्शाये जाने के कारण श्रीमती देवकी सफाई कर्मचारी को ₹30000 (₹180000–₹150000) का कम भुगतान किया गया था। इस राशि का अब श्रीमती देवकी सेवानिवृत सफाई कर्मचारी को भुगतान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

29 ₹0.10 लाख का कर्मचारी भविष्य निधि खाते से अधिक भुगतानः–

"नगर परिषद निधि" से निम्न कर्मचारियों को वाउचर संख्या 30 माह 12/2014 द्वारा ₹115000 का भुगतान भविष्य निधि अग्रिम के रूप में किया गया था।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	राशि
1	श्री दिनेश कुमार लेखाकार	25000
2	श्रीमती कमला, सफाई कर्मचारी	90000
	जोड़	**115000**

उपरोक्त भुगतान के विरूद्ध चैक संख्या 1147463 दिनांक 9.12.2014 द्वारा भविष्य निधि खाते से ₹125000 नगर परिषद निधि में जमा किए गए थे। ₹115000 भविष्य निधि अग्रिम भुगतान के विरूद्ध ₹125000 भविष्य निधि खाते से नगर परिषद खाते में जमा करने के फलस्वरूप भविष्य निधि खाते से ₹10000 (₹125000–₹115000) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी नगर परिषद निधि से प्रतिपूर्ति करके राशि कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

30 कार्य का नामः– विश्राम गृह नालागढ़ के समीप पार्किंग का निर्माण कार्य करनाः–

संविदाकार का नामः–श्री सुजाल खान

अनुबन्ध संख्याः– MC/NLG/Works/688-691 dt 10-7-2013

अनुबन्ध राशि ₹8416285

उपरोक्त कार्य के सातवें, आठवें व नवमें चलत बिलों के दौरान किए गये भुगतान की विस्तृत जाँच की गई। सातवें चलत बिल का भुगतान वाउचर संख्या 47 माह 4/2014 आठवें चलत बिल का भुगतान वाउचर संख्या 37 माह 6/2014 व नवमें बिल का भुगतान वाउचर

संख्या 24 माह 10/2014 द्वारा क्रमशः ₹885879, ₹312966 व ₹39984 के लिए किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर कुल ₹451229 के अधिक भुगतान अनाधिकृत भुगतान एवं कम वसूलियों के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) ₹0.03 लाख का अधिक भुगतानः–

नवमें चलत बिल की मद संख्या 6/5 सी द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क विद स्टील प्लेट फाउंडेशन फुटिंग इतयादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 45 वर्ग मीटर का भुगतान ₹270 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 70 पृष्ठ 46 पर किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त कार्य मद की संविदाकार दर ₹200 प्रति वर्ग थी। संविदाकार को ₹200 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर ₹270 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त 45 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹70 (₹270–₹200) प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹3150 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(2) लेबर सैस ₹0.48 लाख की वसूली न करनाः–

संविदाकार को नवमे चलत बिल तक किये गये कार्य के लिये ₹4761728 का भुगतान किया गया था। संविदाकार से 1 प्रतिशत की दर से ₹47617 लेबर सैस की वसूली की जानी अपेक्षित थी लेकिन उपरोक्त कार्य में संविदाकार के बिलों से लेबर सैस की वसूली नहीं की गई थी। संविदाकार के बिलों से 1 प्रतिशत की दर से वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम वसूल की गई राशि ₹47617 की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि सम्बन्धित विभाग में जमा की जाए।

(3) ₹0.33 लाख का अधिक भुगतानः–

नवमें चलित बिल की मद संख्या 7 द्वारा वर्णित कार्य सैंड फीलिंग अण्डर फलोर वाटरिंग लेमिण एवं कनसालिडेशन इत्यादि से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 65–19 घन मीटर का भुगतान ₹1100 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 70, पृष्ठ 47 पर किया गया था। उपरोक्त मद अनुबन्ध में शामिल नहीं थी। यह अतिरिक्त मद करवाई गई थी अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त मद की मानक दर अनुसूची 1999 के अनुसार दर	₹312 प्रति घन मी0
कार्य की ओवर आल प्रतिशतता 92.28 प्रतिशत	₹297.91
निर्धारित दर	₹599.91

उपरोक्त मामले में संविदाकार को ₹599.91 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹1100 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने के कारण ₹65.19 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹500.09 (₹1100–599–11) प्रति घन मीटर की दर से ₹32601 का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(4) ₹3.68 लाख का अनाधिकृत भुगतानः–

संविदाकार को उपरोक्त कार्य के नवमें चलत बिल तक किए गये भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित कार्य मदों का संविदाकार को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹367861 का अनाधिकृत भुगतान किया गया था जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितीकरण करवाया जाए।

क्र0सं0	मापन पुस्तिका / पृ0सं0	अतिरिक्त कार्य मद का विवरण	कार्य मात्रा	दर	राशि
1	70 पृष्ठ 46	कटिंग इन अर्थ वर्क इत्यादि	680.91 घन मी0	135 प्रति घन मी0	91923
2	70 पृष्ठ 47	सैंड फिलिग अण्डर फलोर इत्यादि	65.19 घन मी0	1100 प्रति घन मी0	71709
3	70 पृष्ठ 47	स्टोन सोलिंग अण्डर फलोर	115.258 धन मी0	1150 प्रति घन मी0	132547
4	70 पृष्ठ 47	प्रोवाईडिंग एण्ड फिकसिंग ग्लास स्ट्रिपस	655.60 मी0	70 प्रति घन मी0	45892
5	70 पृष्ठ 48	40 एम0एम0 थिक सी0सी0 फलोरिंग एग्रीगेट 20 एम0एम0 इतयादि	98.90 वर्ग मी0	225 प्रति वर्ग मी0	22252
6	70 पृष्ठ 48	चैकर ऑ अपरूवड़ पैट्रन सी सी फलोरिंग इतयादि	117.93 वर्ग मी0	30 प्रति वर्ग मी0	3538
				कुल राशि	**367861**

31 **कार्य का नामः– वी0वी0एन0डी0ए0 कार्यालय से नगर परिषद के सामुदायिक भवन तक सीमेन्ट कन्क्रीट रोड़ का निर्माण कार्य करना**

संविदाकार का नामः– श्री ज्ञान चन्द ठुाकर

अनुबन्ध संख्याः– MC/NLG/Works-2014-1350 दिनांक 20.12.2014

उपरोक्त कार्य के चलत बिल का भुगतान वाउचर संख्या 25 माह 10/2015 द्वारा किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर ₹57890 के अधिक भुगतान के मामले पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) कार्य के प्रथम चलत बिल की मद संख्या 2 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 1:4:8 इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 115.64 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 73 पृष्ठ 3 पर ₹2000 प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 73 पृष्ठ 2 की जांच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 113.64 घन मी0 के स्थान पर 115.64 घन मीटर दर्शाई गई थी। जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 2 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹2000 प्रति घन मीटर की दर से ₹4000 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(2) आबंटन पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 1 माह थी जो कार्य आबंटन दिनांक 4.01.2015 के 15 दिन बाद से आरम्भ होनी थी। अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 के अनुसार यदि कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है तो अनुबन्ध राशि पर एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत की संविदाकार से दण्ड स्वरूप वसूली की जानी प्रस्तावित थी। कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 74 पृष्ठ 1 से 6 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 28.8.2015 दर्शाई गई थी। अतः संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य लगभग 8 माह पश्चात पूर्ण किया गया था लेकिन संविदाकार से अनुबन्ध ₹538898 के 10 प्रतिशत दण्ड स्वरूप ₹53890 की वसूली नहीं की गई थी। उपरोक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त ₹53890 की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 विभागीय तौर पर सीमेन्ट निर्गमित न करने के फलस्वरूप ₹8.49 लाख की वित्तीय हानिः–

नगर परिषद नालागढ़ के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान **परिशिष्ट "ध"** अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग संविदाकारों द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्या यू0डी0एच0(एफ) (10) 2/2005–9750–9808 दिनांक 6.9.2005 द्वारा परामर्श दिया गया था कि नगर परिषदों व नगर पंचायतों के निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सीमेन्ट आदि की आपूर्ति संविदाकार को सम्बन्धित परिषद/पालिका द्वारा अपने स्तर पर ही किया जाए ताकि कार्य की गुणवता प्रभावित न हो, लेकिन परिषद द्वारा इन कार्यों में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः शहरी निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया

जाए। यदि विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी किया जाता तो ₹848670 राशि की बचत की जा सकती थी। परन्तु परिषद द्वारा विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी न करके अनावश्यक रूप से कार्य लागत को बढ़ाया गया जिससे परिषद को ₹848670 की सम्भावित वित्तीय हानि हुई। अतः यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

33 ₹0.35 लाख लेबर सैस की वसूली न करनाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य का ठेका मै0 टारगेट ग्रीन पलैनैन्ट को आबंटित किया गया था। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान निम्न भुगतानों की राशि पर संविदाकार से लेबर सैस की वसूली नहीं की गई थी। संविदाकार को किए गये भुगतान पर संविदाकार से लेबर सैस की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न विवरणानुसार लेबर सैस की वसूली योग्य राशि ₹35214 की उचित माध्यम से वसूली करके राशि सम्बन्धित विभाग में जमा की जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

माह	कुल भुगतान राशि (₹)	1% की दर से लैबर सैस की वसूली योग्य राशि (₹)
4/2014	111000	1110
5/2014	111000	1110
6/2014	111000	1110
7/2014	111000	1110
8/2014	111000	1110
9/2014	111000	1110
10/2014	111000	1110
11/2014	111000	1110
12/2014	205000	2050
1/2015	205000	2050
2/2015	205000	2050
3/2015	205000	2050
4/2015	205000	2050
5/2015	205000	2050
6/2015	205000	2050
7/2015	205000	2050
8/2015	205000	2050
9/2015	205000	2050
10/2015	201750	2018
11/2015	176555	1766
	जोड़	**₹35214**

34 रोकड़ बही में वाउचरों द्वारा भुगतान की गई राशियों की ठीक प्रविष्टि न करने से ₹1.46 लाख का अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार परिषद द्वारा वाउचरों से भुगतान की प्रविष्टियों के गलत योग के कारण रोकड़ बही में वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान दिखाए जाने के कारण ₹146050 का अधिक भुगतान किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए और अधिक भुगतान राशि को उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ बही पेज सं0	वा0सं0	रोकड़ बही में दर्ज व्यय राशि	वास्तविक राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	1.5.15	198	1 से 21	1176473	1095398	81075
2	9.11.15	45	27 से 37	580468	515493	64975
				कुल अन्तर राशि		**₹146050**

यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष विशेष रूप से आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

35 डिपाजिट कार्य करवाने के लिए विभाग के पास जमा की गई ₹6.60 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः—

नगर परिषद नालागढ़ द्वारा हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ को सीवरेज योजना के अन्तर्गत **परिशिष्ट "न"** अनुसार ₹66000000 डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत राशि जमा करवाई गई थी परन्तु परिषद द्वारा जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए है। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

36 अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹5.91 लाख दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन हेतु शेषः—

परिशिष्ट "प" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2016 को अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹590723 समायोजन हेतु शेष थी जिसमें से ₹93060 की राशि तो सेवा निवृत हो चुके कर्मचारी से सम्बन्धित थी। अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा निवृति उपदान की राशि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता तो है ही साथ में परिषद की

लचर कार्य प्रणाली को परिलक्षित करती है। अतः इस राशि के साथ–साथ उक्त समस्त अस्थाई अग्रिम की राशि के समायोजन हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 लेखा परीक्षा में वांछित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करनाः–

लेखा परीक्षा के द्वारा बार–बार अनुरोध करने एवं लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 122 दिनांक 24.11.2016 द्वारा निम्न वर्णित वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया लेकिन सम्बन्धित लेखा परीक्षा समाप्त होने तक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक/माह	राशि	भुगतान का संक्षिप्त विवरण
1	27	10/2015	1170000	डम्पर पलेसर क्रय के सम्बन्ध में वास्तविक बिल, स्वीकृति एवं अन्य अभिलेख
2	28	10/2015	16173	डम्पर पलेसर के बीमा भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख
3	29	10/2015	18638	पम्प फार मैडीसीन स्प्रे एवं ग्रास बुश कटर के क्रय स्टॉक प्रविष्टियों सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना
4	33	10/2015	59500	फौगिंग मशीन क्रय के सम्बन्ध में स्वीकृति, स्टॉक प्रविष्टियाँ एवं अन्य अभिलेख
5	34	10/2015	29190	कार्यकारी अधिकारी आवास हेतु क्रय विद्युत सामग्री स्टॉक प्रविष्टियाँ एवं अन्य अभिलेख
6	35	10/2015	39580	कार्यकारी अधिकारी आवास हेतु ए0सी0 क्रय करना
7	36	10/2015	70520	प्रिंटर फैक्स मशीन, कम्पयुटर के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख

38 वाउचर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न करनाः–

वाउचर संख्या 26 माह 10/2015 द्वारा ₹49928 का भुगतान रोकड़ बही में कऊशैड निर्माण पर किया दर्शाया गया था लेकिन उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख/वाउचर वाऊचर नस्ति में उपलब्ध नहीं था। मामला परिषद अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था लेकिन लेखा परीक्षा के समाप्ति तक उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख व वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः वाउचर प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त सम्बन्धित वाउचर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं अन्यथा किए गये भुगतान की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

39 रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19 (3) के अनुसार अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही को हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है किन्तु निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा रोकड़ बही सत्यापित नहीं की गई थी जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक/अवधि	रोकड़ बही पेज सं0
1	2.3.15 से 11.5.15	188 से 200
2	12.5.15 से 31.3.16	1 से 79

40 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी भण्डार लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी भण्डार में पड़ी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगें तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेगे। कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाए जाने सुनिश्चित करेगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। यह वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 डीजल शेष मात्रा कम दर्शाये जाने के कारण 158 लीटर डीजल का दुरूपयोगः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/2014 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि माह के अन्त में मासिक खपत विवरणिका तैयार करते समय गणना में गलती के कारण डीजल की शेष बची मात्रा कम दर्शाई

गई थी, जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार 158 लीटर डीजल की मात्रा का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस बारे में औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त 158 लीटर डीजल की मात्रा की बाजार दर के अनुसार उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**माह**	**पूर्व माह का शेष डीजल तेल**	**माह के दौरान क्रय/भरवाये गये डीजल तेल मात्रा**	**कुल मात्रा डीजल तेल**	**माह के दौरान खपत डीजल**	**शेष मात्रा डीजल**	**लॉग बुक में दर्शाई गई शेष मात्रा**	**कम दर्शाई गई शेष मात्रा डीजल**
(I) वाहन संख्या एच0पी0 12–ई–5131 टैक्टर								
1	8/14	14 ली0	120 ली0	134 ली0	98 ली0	36 ली0	35 ली0	1 ली0
2	9/14	35 ली0	120 ली0	155 ली0	117 ली0	38 ली0	35 ली0	3 ली0
3	10/14	35 ली0	120 ली0	155 ली0	115 ली0	40 ली0	35 ली0	5 ली0
4	5/15	2 ली0	160 ली0	162 ली0	142 ली0	20 ली0	6 ली0	14 ली0
5	6/15	6 ली0	120 ली0	126 ली0	114 ली0	12 ली0	4 ली0	8 ली0
6	12/14	56 ली0	–	56 ली0	8 ली0	48 ली0	44 ली0	4 ली0
7	6/15	28 ली0	–	28 ली0	8ली0	20 ली0	16 ली0	4 ली0
8	7/15	28 ली0	–	28 ली0	6 ली0	22 ली0	18 ली0	4 ली0
						अन्तर तेल		**43 ली0**

क्र0सं0	**माह**	**पूर्व माह का शेष डीजल तेल**	**माह के दौरान क्रय/भरवाये गये डीजल तेल मात्रा**	**कुल मात्रा डीजल तेल**	**लॉग बुक में दर्शाई गई शेष मात्रा**	**कम दर्शाई गई शेष मात्रा डीजल**
(II) वाहन संख्या एच0पी0 12–9792 डम्पर प्लेसर						
1	7/14	20 ली0	210 ली0	230 ली0	160 ली0	70ली0
						70 ली0

(III) वाहन संख्या एच0पी0 12–ई–5131 टैक्टर

1	10/15	18 ली0	160 ली0	178 ली0	138 ली0	40 ली0
2	12/15	20 ली0	125 ली0	145 ली0	140 ली0	5 ली0
					योग	**45 ली0**
				कुल कम डीजल तेल ली0		**158 ली0**

42 अभिलेख/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा वर्गीकृत खाता बहियों का रख रखाव न करने के कारण किस मद में कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद का कितना व्यय हुआ तथा व्यय की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है कि नहीं इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

43 औसत तेल की खपत का निर्धारण न करनाः–

नगर परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसत तेल की खपत निर्धारित नही की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी निरीक्षण/टैस्ट चैक (जो भी पहले हो) तक बनाये रखना अपेक्षित होता है। अतः वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक तेल की खपत की गणना परिषद अपने स्त्तर पर करके अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

44 पुराने बदले गये बिजली के सामान का Dead Stock रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद नालागढ़ द्वारा हजारों रूपये की राशि का सामान विभिन्न वाडों में स्ट्रीट लाईट/बिजली की सुविधा को सुचारू रूप से चलाने हेतु खरीदा जाता है। बिजली के विभिन्न मेक के सामान की खरीद हेतु विभिन्न फर्मों से निविदाओं के आधार पर परिषद द्वारा खरीद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है परन्तु आमन्त्रित की गई निविदाओं में किसी भी फर्म द्वारा किस मेक के बिजली के सामान की दरें अंकित की गई है उनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है और न ही परिषद द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करते समय वांछित मेक/मोडल का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा प्राप्त किये गये बिजली के सामान के बिलों पर ता भण्डार रजिस्टरों पर भी निश्चित मेक का वर्णन नहीं होता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसकी अनुपस्थिति में प्राप्त बिजली के सामान की गुणवता व भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती है। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि निविदाएं आमन्त्रित करते हुये तथा आपूर्ति आदेशों को जारी करते समय भी निश्चित मेक के बिजली के सामान का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निश्चित मेक के बिजली के सामान की न्यूनतम दरों की मुख्य उत्पादक (Principal Manufacture) फर्म की मूल्य सूची से मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाये ताकि बिजली के सामान की खरीद में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा समय–2 पर पुराना बिजली का सामान बदला जाता है परन्तु परुाने बदले गये कीमती सामान की प्रविष्टि (Dead Stock Register/Old Replacement) में नहीं की जाती है जिससे सामान के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियमों में विनिर्दिष्टित निर्देशों के अन्तर्गत बदले गये बिजली के कीमती सामान को निश्चित प्रक्रिया के पश्चात नीलामी की जानी अपेक्षित होती है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

45 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

46 **सारांशः—** लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस व तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः V (10) फिन(एल0ए0) खण्ड—4 ,— 2348—2349 दिनांकः 24.04.2017 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओ पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 सचिव, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
0177—2620881

परिशिष्ट–"क"

(पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52

1	पैरा–6 (ए) (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए) (6)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–15	अनिर्णीत

(ग) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/65

1	पैरा–8 (2) (बी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक

1	पैरा–9	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (जी)	अनिर्णीत
5	पैरा–18	अनिर्णीत
6	पैरा–21 (जी)	अनिर्णीत
7	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक

1	पैरा–7	आंशिक निर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत

3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (20)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (डी) (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (डी) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (सी)	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–20	अनिर्णीत

21	पैरा—23	अनिर्णीत
22	पैरा—24	अनिर्णीत
23	पैरा—25	अनिर्णीत
24	पैरा—27	अनिर्णीत
25	पैरा—28	अनिर्णीत
26	पैरा—29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80

1	पैरा—6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा—8	अनिर्णीत
5	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा—12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा—12 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा—12 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा—12 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा—12 (जी)	अनिर्णीत
11	पैरा—14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा—16	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—12 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा—13	अनिर्णीत

7	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत

(ञ) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत

6	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (एल)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एन)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (पी)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–18 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा–18 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा–19 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत

6	पैरा—6 (ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा—7 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—7 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा—9	अनिर्णीत
11	पैरा—10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—11 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—11 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा—11 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (डी)	अनिर्णीत
20	पैरा—12 (ई)	अनिर्णीत
21	पैरा—13 (बी)	अनिर्णीत
22	पैरा—13 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा—13 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा—15 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—15 (सी)	अनिर्णीत
27	पैरा—15 (डी)	अनिर्णीत
28	पैरा—15 (ई)	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (एफ)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (जी)	अनिर्णीत
31	पैरा—15 (एच)	अनिर्णीत
32	पैरा—15 (आई)	अनिर्णीत
33	पैरा—15 (जे)	अनिर्णीत
34	पैरा—16	अनिर्णीत

35	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
36	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
37	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (ई)	अनिर्णीत

(ढ़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ए) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (ए)	आंशिक निर्णीत (₹9078.84 की वसूली शेष)
6	पैरा–6 (बी)	आंशिक निर्णीत (₹9028.00 की वसूली शेष)
7	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
8	पैरा–7	अनिर्णीत
9	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–11	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत

24	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (के)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (एम)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एन)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

(ण) लघु आपत्तियॉः–

4/74 से 3/79	9 व 11 अनिर्णीत
4/79 से 3/80	5 व 8 अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–5 (जे)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा–7 (बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत

9	पैरा–11 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (ए) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ए) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ए) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (ए) (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (बी) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (बी) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (बी) (5)	अनिर्णीत
23	पैरा–18	अनिर्णीत
24	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–20 (ई)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत
28	लधु आपत्तियॉ 4, 6 व 7	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक

1	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ग) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ग) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (ग) (4)	अनिर्णीत

8	पैरा—5 (ग) (5)	अनिर्णीत
9	पैरा—5 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा—5 (ङ)	अनिर्णीत
11	पैरा—5 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा—5 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा—7 (क)	आंशिक निर्णीत
14	पैरा—7 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा—7 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा—12 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (ङ)	अनिर्णीत
20	पैरा—15 (i)	अनिर्णीत
21	पैरा—15 (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा—15 (2) (सी)	अनिर्णीत
23	पैरा—15 (2) (i)	अनिर्णीत
24	पैरा—15 (2) (ii)	अनिर्णीत
25	पैरा—15 (2) (iii)	अनिर्णीत
26	पैरा—15 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा—15 (4)	अनिर्णीत
28	पैरा—15 (4) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (4) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (4) (iii)	अनिर्णीत
31	पैरा—15 (4) (iv)	अनिर्णीत
32	पैरा—15 (5) (i)	अनिर्णीत
33	पैरा—15 (5) (ii)	अनिर्णीत
34	पैरा—15 (6) (i)	अनिर्णीत
35	पैरा—15 (7) (i)	अनिर्णीत
36	पैरा—15 (7) (ii)	अनिर्णीत

37	पैरा–15 (7) (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (7) (iv)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (8) (i)	अनिर्णीत
40	पैरा–15 (8) (ii)	अनिर्णीत
41	पैरा–15 (8) (iii)	अनिर्णीत
42	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
45	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत
46	पैरा–16 (iii)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (iii) (i)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (iii) (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (iii) (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा–16 (iii) (iv)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (iii) (v)	अनिर्णीत
52	पैरा–16 (iii) (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा–16 (iii) (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा–16 (iii) (viii)	अनिर्णीत
55	पैरा–16 (iii) (ix)	अनिर्णीत
56	पैरा–16 (iii) (x)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (iii) (xi)	अनिर्णीत
58	पैरा–16 (iii) (xii)	अनिर्णीत
59	पैरा–16 (iii) (xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा–16 (iii) (xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा–16 (iii) (xv)	अनिर्णीत
62	पैरा–16 (iii) (xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा–16 (iii) (xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा–16 (iii) (xix)	अनिर्णीत
65	पैरा–16 (iii) (xx)	अनिर्णीत

66	पैरा–16 (iii) (xxi)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (iii) (xxii)	अनिर्णीत
68	पैरा–16 (iii) (xxiii)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (iii) (xxiv)	अनिर्णीत
70	पैरा–16 (iii) (xxv)	अनिर्णीत
71	पैरा–16 (iii) (xxvi)	अनिर्णीत
72	पैरा–16 (iii) (xxvii)	अनिर्णीत
73	पैरा–16 (iii) (xxviii)	अनिर्णीत
74	पैरा–16 (iii) (xxix)	अनिर्णीत
75	पैरा–17 (घ)	अनिर्णीत
76	पैरा–18 (क) (i)	अनिर्णीत
77	पैरा–18 (क) (ii)	अनिर्णीत
78	पैरा–18 (ख) (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–18 (ख) (ii)	अनिर्णीत
80	पैरा–18 (ख) (iii)	अनिर्णीत
81	पैरा–18 (ख) (iv)	अनिर्णीत
82	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत
83	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत
84	पैरा–19 (क) (i)	अनिर्णीत
85	पैरा–19 (क) (ii)	अनिर्णीत
86	पैरा–19 (क) (iii)	अनिर्णीत
87	पैरा–19 (क) (iv)	अनिर्णीत
88	पैरा–19 (क) (v)	अनिर्णीत
89	पैरा–19 (क) (vi)	अनिर्णीत
90	पैरा–19 (क) (vii)	अनिर्णीत
91	पैरा–19 (क) (viii)	अनिर्णीत
92	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा–20	अनिर्णीत
94	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत

95	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
96	पैरा–22 (i)	अनिर्णीत
97	पैरा–22 (ii)	अनिर्णीत
98	पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत
99	पैरा–22 (iv)	अनिर्णीत
100	पैरा–22 (v)	अनिर्णीत
101	पैरा–23	अनिर्णीत
102	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत
103	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत
104	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
105	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
106	पैरा–24 (घ)	अनिर्णीत
107	पैरा–24 (ङ)	अनिर्णीत
108	पैरा–27	अनिर्णीत
109	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
110	पैरा–30	अनिर्णीत
111	पैरा–31	अनिर्णीत
112	पैरा–32	अनिर्णीत
113	पैरा–33 (1) (i)	अनिर्णीत
114	पैरा–33 (1) (ii)	अनिर्णीत
115	पैरा–33 (1) (iii)	अनिर्णीत
116	पैरा–33 (1) (iv)	अनिर्णीत
117	पैरा–33 (ख) (1)	अनिर्णीत
118	पैरा–33 (ख) (3)	अनिर्णीत
119	पैरा–33 (ख) (4)	अनिर्णीत
120	पैरा–33 (ख) (5)	अनिर्णीत
121	पैरा–33 (ख) (6)	अनिर्णीत
122	पैरा–33 (ख) (7)	अनिर्णीत
123	पैरा–33 (ख) (8) (i)	अनिर्णीत

124	पैरा—33 (ख) (8) (ii)	अनिर्णीत
125	पैरा—33 (ख) (8) (iii)	अनिर्णीत
126	पैरा—33 (ख) (8) (iv)	अनिर्णीत
127	पैरा—33 (ख) (9)	अनिर्णीत
128	पैरा—33 (ख) (10)	अनिर्णीत
129	पैरा—33 (ख) (11)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1	पैरा—2	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (iv)	अनिर्णीत
5	पैरा—4 (v) (i)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (v) (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा—4 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा—5 (1) से 4 (xx)	अनिर्णीत
11	पैरा—6 (i) से (Lii)	अनिर्णीत
12	पैरा—7	अनिर्णीत
13	पैरा—8 (i) से 8 (vi)	अनिर्णीत
14	पैरा—9 (i) से (xii)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10 तक

1	पैरा—4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (2) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (2) (ग)	निर्णीत
5	पैरा—4 (2) (ङ)	अनिर्णीत

6	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–6.1	अनिर्णीत
8	पैरा–6.3	अनिर्णीत
9	पैरा–7.2	अनिर्णीत
10	पैरा–7.6.1	अनिर्णीत
11	पैरा–8.1	अनिर्णीत
12	पैरा–9	अनिर्णीत
13	पैरा–9.1	अनिर्णीत
14	पैरा–9.2	अनिर्णीत
15	पैरा–9.3	अनिर्णीत
16	पैरा–9.4	अनिर्णीत
17	पैरा–10	अनिर्णीत
18	पैरा–11	अनिर्णीत
19	पैरा–12.1	अनिर्णीत
20	पैरा–12.2	अनिर्णीत
21	पैरा–12.3	अनिर्णीत
22	पैरा–12.4	अनिर्णीत
23	पैरा–13	अनिर्णीत
24	पैरा–13.1	अनिर्णीत
25	पैरा–13.2	अनिर्णीत
26	पैरा–13.3	अनिर्णीत
27	पैरा–14	अनिर्णीत
28	पैरा–14.1	अनिर्णीत
29	पैरा–15	अनिर्णीत
30	पैरा–15.1.1	अनिर्णीत
31	पैरा–15.1.2	अनिर्णीत
32	पैरा–15.2	अनिर्णीत
33	पैरा–15.3	अनिर्णीत
34	पैरा–15.4	अनिर्णीत

35	पैरा—16.1	अनिर्णीत
36	पैरा—16.2	अनिर्णीत
37	पैरा—16.3	अनिर्णीत
38	पैरा—16.4	अनिर्णीत
39	पैरा—16.5	अनिर्णीत
40	पैरा—16.6	अनिर्णीत
41	पैरा—16.7	अनिर्णीत
42	पैरा—16.8	अनिर्णीत
43	पैरा—16.9	अनिर्णीत
44	पैरा—16.10	अनिर्णीत
45	पैरा—17.1	अनिर्णीत
46	पैरा—17.2	अनिर्णीत
47	पैरा—17.3	अनिर्णीत
48	पैरा—17.4	अनिर्णीत
49	पैरा—18	अनिर्णीत
50	पैरा—18.1	अनिर्णीत
51	पैरा—18.2	अनिर्णीत
52	पैरा—18.3	अनिर्णीत
53	पैरा—19	अनिर्णीत
54	पैरा—20	अनिर्णीत
55	पैरा—21	अनिर्णीत
56	पैरा—22	अनिर्णीत
57	पैरा—23	अनिर्णीत
58	पैरा—24	अनिर्णीत
59	पैरा—24.1	अनिर्णीत
60	पैरा—24.2	अनिर्णीत
61	पैरा—24.2.1	अनिर्णीत
62	पैरा—24.3	अनिर्णीत
63	पैरा—24.4	अनिर्णीत

64	पैरा–24.4.1	अनिर्णीत
65	पैरा–24.4.2	अनिर्णीत
66	पैरा–24.4.2.1	अनिर्णीत
67	पैरा–24.2.2	अनिर्णीत
68	पैरा–24.5	अनिर्णीत
69	पैरा–24.5.1	अनिर्णीत
70	पैरा–24.6	अनिर्णीत
71	पैरा–26	अनिर्णीत
72	पैरा–26.1	अनिर्णीत
73	पैरा–26.2	अनिर्णीत
74	पैरा–26.4	अनिर्णीत
75	पैरा–26.5	अनिर्णीत
76	पैरा–26.6	अनिर्णीत
77	पैरा–26.7	अनिर्णीत
78	पैरा–26.8	अनिर्णीत
79	पैरा–27	अनिर्णीत
80	पैरा–29	अनिर्णीत
81	पैरा–30	अनिर्णीत
82	पैरा–31	अनिर्णीत
83	पैरा–32	अनिर्णीत
84	पैरा–32.1	अनिर्णीत
85	पैरा–32.2	अनिर्णीत
86	पैरा–32.3	अनिर्णीत
87	पैरा–33	अनिर्णीत
88	पैरा–34	अनिर्णीत
89	पैरा–35	अनिर्णीत
90	पैरा–36	अनिर्णीत
91	पैरा–38	अनिर्णीत
92	पैरा–40	अनिर्णीत

93	पैरा–41	अनिर्णीत	
94	पैरा–42	अनिर्णीत	
95	पैरा–43	अनिर्णीत	
96	पैरा–43.1	अनिर्णीत	
97	पैरा–44	अनिर्णीत	
98	पैरा–44.3	अनिर्णीत	

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा–4 (2) (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (2) (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (2) (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–12	अनिर्णीत	
5	पैरा–13	अनिर्णीत	
6	पैरा–14	अनिर्णीत	
7	पैरा–16	निर्णीत	(रसीद नं0 90/104 दिनांक 1.12.16 ₹1079)
8	पैरा–21	अनिर्णीत	
9	पैरा–22	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
10	पैरा–23	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
11	पैरा–24	अनिर्णीत	
12	पैरा–25	अनिर्णीत	
13	पैरा–26	अनिर्णीत	
14	पैरा–27	अनिर्णीत	
15	पैरा–28	अनिर्णीत	
16	पैरा–29 (1) (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–30	अनिर्णीत	
18	पैरा–31	अनिर्णीत	
19	पैरा–32	अनिर्णीत	
20	पैरा–33	अनिर्णीत	
21	पैरा–34	अनिर्णीत	

22	पैरा–35	अनिर्णीत
23	पैरा–36	अनिर्णीत
24	पैरा–37	अनिर्णीत
25	पैरा–39 (ङ)	अनिर्णीत
26	पैरा–40	अनिर्णीत
27	पैरा–42	अनिर्णीत
28	पैरा–44	अनिर्णीत
29	पैरा–45	अनिर्णीत
30	पैरा–47 (क)	अनिर्णीत
31	पैरा–47 (ख)	अनिर्णीत
32	पैरा–47 (ग)	अनिर्णीत
33	पैरा–47 (घ)	अनिर्णीत
34	पैरा–48 (क)	अनिर्णीत
35	पैरा–48 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–49	अनिर्णीत
37	पैरा–50	अनिर्णीत
38	पैरा–51	अनिर्णीत
39	पैरा–52 (क) (i) (ii) व (iii)	अनिर्णीत
40	पैरा–52 (क) (iv) (क) से (य)	अनिर्णीत
41	पैरा–53	अनिर्णीत
42	पैरा–54	अनिर्णीत
43	पैरा–55	अनिर्णीत
44	पैरा–56 (क)	अनिर्णीत
45	पैरा–56 (2)	अनिर्णीत
46	पैरा–57	अनिर्णीत
47	पैरा–58 (i)	अनिर्णीत
48	पैरा–58 (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा–58 (iii)	अनिर्णीत

50	पैरा–58 (iv) (v)	अनिर्णीत
51	पैरा–59 (i)	अनिर्णीत
52	पैरा–59 (ii)	अनिर्णीत
53	पैरा–59 (iii)	अनिर्णीत
54	पैरा–59 (iv)	अनिर्णीत
55	पैरा–60 (i)	अनिर्णीत
56	पैरा–60 (ii)	अनिर्णीत
57	पैरा–60 (iii)	अनिर्णीत
58	पैरा–61 (i)	अनिर्णीत
59	पैरा–61 (ii)	अनिर्णीत
60	पैरा–61 (iii)	अनिर्णीत
61	पैरा–61 (iv)	अनिर्णीत
62	पैरा–61 (v)	अनिर्णीत
63	पैरा–62 (i)	अनिर्णीत
64	पैरा–62 (ii)	अनिर्णीत
65	पैरा–62 (iii)	अनिर्णीत
66	पैरा–63	अनिर्णीत
67	पैरा–64	अनिर्णीत

(प) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–3	समाप्त	(लेखा परीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है)
2	पैरा–4 (1)	समाप्त	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति प्रारूपित की गई है)
3	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत	
6	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत	

9	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7	समाप्त	(₹1617 की वसूली रसीद संख्या 104/92 दिनांक 1.12.2016 के अन्तर्गत कर ली गई है)
11	पैरा–8	अनिर्णीत	
12	पैरा–9	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
13	पैरा–10	समाप्त	(–यथोपरि–)
14	पैरा–11	समाप्त	(–यथोपरि–)
15	पैरा–12	अनिर्णीत	
16	पैरा–13	समाप्त	(वर्ष 2013–14 तक शराब कर प्राप्त कर लिया गया है)
17	पैरा–14	अनिर्णीत	
18	पैरा–15	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
19	पैरा–16	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
20	पैरा–17	अनिर्णीत	
21	पैरा–18	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
22	पैरा–19	अनिर्णीत	
23	पैरा–20	समाप्त	सूचनार्थ
24	पैरा–21 (1)	समाप्त	सूचनार्थ
25	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत	
26	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत	
27	पैरा–22	अनिर्णीत	
28	पैरा–23	अनिर्णीत	
29	पैरा–24	अनिर्णीत	
30	पैरा–25	अनिर्णीत	
31	पैरा–26	अनिर्णीत	
32	पैरा–27	अनिर्णीत	
33	पैरा–28	अनिर्णीत	
34	पैरा–29 (i)	अनिर्णीत	
35	पैरा–29 (ii)	अनिर्णीत	

36	पैरा–29 (iii)	अनिर्णीत	
37	पैरा–29 (iv)	अनिर्णीत	
38	पैरा–29 (v)	अनिर्णीत	
39	पैरा–30	समाप्त	(मकान किराये भत्ते के अधिक भुगतान की वसूली माह 11/2016 के वेतन से कर ली गई है)
40	पैरा–31 1 (i) पैरा–31 1 (ii)	समाप्त समाप्त	(₹103 की वसूली रसीद संख्या 94/104 दिनांक 2.12.2016 के अन्तर्गत कर ली गई है)
41	पैरा–31 (2)	समाप्त	(अधिक भुगतान की वसूली माह 11/2016 के वेतन से कर ली गई है)
42	पैरा–32	समाप्त	(₹1650 की वसूली रसीद संख्या 104/72 दिनांक 24.11.2016 के अन्तर्गत कर ली गई है)
43	पैरा–33	अनिर्णीत	
44	पैरा–34	अनिर्णीत	
45	पैरा–35 (1) (क)	समाप्त	(₹30 की वसूली रसीद संख्या 96/104 दिनांक 2.12.16 के अन्तर्गत कर ली गई है (₹100 की वसूली रसीद संख्या 81/104 दिनांक 27.11.2016 के अन्तर्गत कर ली गई है)
46	पैरा–35 (1) (ख)	समाप्त	(₹3706 की वूसली रसीद संख्या 104/70 दिनांक 23.11.2016 के अन्तर्गत कर ली गई है)
47	पैरा–35 (2)	अनिर्णीत	
48	पैरा–36	अनिर्णीत	
49	पैरा–37	अनिर्णीत	
50	पैरा–38	समाप्त	(₹882 की वसूली रसीद संख्या 104/71 दिनांक 27.11.2016 के अन्तर्गत कर ली गई है)
51	पैरा–39	अनिर्णीत	
52	पैरा–40	अनिर्णीत	
53	पैरा–41	अनिर्णीत	
54	पैरा–42	अनिर्णीत	

55	पैरा–43	अनिर्णीत	
56	पैरा–44 (1)	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
57	पैरा–44 (2)	अनिर्णीत	
58	पैरा–45	अनिर्णीत	
59	पैरा–46	अनिर्णीत	
60	पैरा–47	अनिर्णीत	
61	पैरा–48	अनिर्णीत	
62	पैरा–49	अनिर्णीत	
63	पैरा–50	अनिर्णीत	
64	पैरा–51	अनिर्णीत	
65	पैरा–52	अनिर्णीत	
66	पैरा–53	अनिर्णीत	
67	पैरा–54	अनिर्णीत	
68	पैरा–55	अनिर्णीत	
69	पैरा–56	अनिर्णीत	
70	पैरा–57	अनिर्णीत	
71	पैरा–58	अनिर्णीत	
72	पैरा–59	अनिर्णीत	
73	पैरा–60	अनिर्णीत	
74	पैरा–61	अनिर्णीत	
75	पैरा–62	अनिर्णीत	
76	पैरा–63	अनिर्णीत	
77	पैरा–64	अनिर्णीत	
78	पैरा–65	अनिर्णीत	
79	पैरा–66	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

31.3.14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए पैरे
अन्तशेष